फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :— **श्री रूपा** | विपक्षी :— **श्री प्रकाश**

किस्म मुकदमा :— 212 रा.का.अधिनियम | पत्रावली संख्या :— 27/20

जीसीएमएस नम्बर :— 2020/00127

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 12.08.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस टी.आई सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर विपक्षीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा धोलीमगरी पटवार हल्का धोलीमगरी तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 की खाता संख्या 60 पर दर्ज आराजी नम्बर 84, 91, 92, 275, 401, 417, 418, 444, 445, 654, 672, 673, 676, 677, 807, 814, 815, 833, 848, 849, 862, 941, 945, 1346, 1347, 1348, 1354, 1355, 1356, 1357, 1360, 1364, 1365, 1366, 1371, 1372 किता 36 कुल रकबा 88 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 3 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है वादग्रस्त भूमि के उभय पक्षकारान रेकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद कराना चाह रहा हैं परन्तु विपक्षीगण रेकार्डेड खातेदार हैं। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षीगण सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी एवं विपक्षीगण दोनों के पक्ष में साबित होते हैं। इसलिए यदि मात्र विपक्षीगण को ही पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा परन्तु मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि उभय पक्षकारान को पाबंद नहीं किया जाता है एवं उभय पक्षकारान वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कर मौका परिवर्तन कर देते है तो इससे प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी तथा खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक का कब्जा माना जाता हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जा[illegible]हित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 का काउन्टर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:31 IST
Reason: SelfAttested

पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 का काउन्टर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा धोलीमगरी पटवार हल्का धोलीमगरी तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 की खाता संख्या 60 पर दर्ज आराजी नम्बर 84, 91, 92, 275, 401, 417, 418, 444, 445, 654, 672, 673, 676, 677, 807, 814, 815, 833, 848, 849, 862, 941, 945, 1346, 1347, 1348, 1354, 1355, 1356, 1357, 1360, 1364, 1365, 1366, 1371, 1372 किता 36 कुल रकबा 88 बीघा 18 बिस्वा भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। कृषि कार्य करने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:31 IST
Reason: SelfAttested